अधिक न कहते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यह जो रिपोर्ट आई है यह तो पांच वर्ष के लिये पास ही करना है लेकिन पांच वर्ष के भीतर आप फिर कमेटी बिठाइये और साथ ही यह जो भ्रष्टाचार कमेटी बैठी हुई है उसकी भी रिपोर्ट अपने सामने रखकर आप डिविडेंड को और अधिक बढ़ा सकें तो देश का बड़ा कल्याण होगा और उससे राष्ट्रीयकरण जो हो रहा है उसमें और अन्य सब विषयों में प्रगति होगी और अगर इसी एक राष्ट्रीय व्यवसाय में जो आज हमारा है हमारी तरक्की नहीं होती और हम मुनाफा नहीं करते तो हम नेशनलाइजेशन के लिये अच्छा नमूना पेश नहीं करेंगे । मैं शास्त्री जी से बहुत उम्मीद रखता हूं और मुझे आशा है कि वह अपने लौह हाथों से कड़ाई के साथ इसका काम चलायेंगे और नई पार्लियामेंट के आने के पहले पहले दो वर्ष के अन्दर ही चार परसेंट से पांच परसेंट और छः परसेंट करके दिखा सकेंगे ।

दूसरे यह जो रेलवेज में क्लेम्स आते हैं इनके बारे में भी काफी गड़बड़ पायी जाती है, अक्सर झूठे क्लेम्स आते हैं । माल रक्खा हुआ होता है लेकिन उसका क्लेम ले लिया जाता है और क्लेमेंट और क्लेम्स् आफिसर मिल कर क्लेम का रुपया बांट खाते हैं और फिर दो वर्ष के बाद माल पांच रुपये में नीलाम कर दिया जाता है । यह सारी गड़बड़ियां आजकल रेलवे विभाग में हो रही हैं और मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वह इन सब अनियमितताओं को रोकें जिससे रेलवे विभाग की आय बढ़े । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । जहां तक इस मौजूदा रिपोर्ट का सवाल है, इसका समर्थन तो करना ही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप विभाग का संचालन उत्तम रीति से करेंगे ।

Shri Velayudhan (Quilon *cum* Mavelikkara—Reserved-Scheduled Castes): I have gone through this Report very carefully and I am very glad to say that it has been completed sooner than was expected.

I remember that in 1950 when I spoke on the railway budget in the Provisional Parliament, I had made certain suggestions regarding the reorganisation or reformation of our railways.

Mr. Deputy-Speaker: The hon Member may stop now. He may resume tomorrow.

5 P.M.

PREVENTION OF DISQUALIFICATION (PARLIAMENT AND PART C STATES LEGISLATURES) SECOND AMENDMENT BILL

The Minister in the Ministry of Law (Shri Pataskar): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prevention of Disqualification (Parliament and Part C States Legislatures) Act, 1953.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Prevention of Disqualification (Parliament and Part C States Legislatures) Act, 1953."

The motion was adopted.

Shri Pataskar: I introduce the Bill.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the 16th December, 1954.